...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:-0744-2325871

CMS NO.-2012/00270
मेसल नम्बर-41/2012

1.किशनलाल
2.रामस्वरूप
3.कैलाश
4.शंकर
5.किशनी
6.शांतिबाई
7.मनभर
8.प्रेम
9.भूली
10.गीता

पिसरान पिता गोगा जाति माली निवासी-ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का सोगरिया कानूनगो हल्का ताथेड़ तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
11.केसरबाई पत्नि गोगा जी जाति माली निवासी-ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

-वादीगण

बनाम

1.शांतिलाल पुत्र श्री नाथूलाल जाति माली आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
2.राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित-

1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक वादीगण
2. श्री रमेशचंद कुशवाह अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

निर्णय

दिनांक 14/10/2024

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण कम–1 लगायत 11 के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 405 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि किस्म नहरी प्रथम, खसरा नं0 711 रकबा 0.76 हेक्टर, ख0 नं0 712 रकबा 0.23 हेक्टर, ख0नं0 713 रकबा 0.22 हेक्टर, ख0 नं0 714 रकबा 0.22 हेक्टर कुल किता 5 रकबा कुल 1.73 हेक्टर वाके ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का सोगरिया कानूनगो हल्का ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 के माल में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण के शामलाती खाते की भूमि है। वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 405 रकबा 0.30 हेक्टर भूमि किस्म नहरी प्रथम के पूर्व की ओर प्रतिवादी कम–1 का मकान है, प्रतिवादी कम–1 के मकान व वादीगण के खेत खसरा नं0 405 के मध्य भूमि खाली पड़ी हुई है। विगत तीन–चार दिन से प्रतिवादी कम–1 ने वादीगण के खेत खसरा नंबर 405 के अंदर नीव खोदना प्रांरभ कर दिया है। वादी कम–1 ने जब प्रतिवादी कम 1 से उक्त नींव खोदने के लिए मना किया, तो प्रतिवादी कम–1 ने वादी की बात पर ध्यान नहीं देते हुए नींव खोदना बदस्तूर जारी रखा, यह घटना 28.01.2003 की है। इस पर वादीगण ने हल्का पटवारी से अपनी भूमि का नक्शा ट्रेस व जमाबंदी लेने के लिए 29.01.2003 को आवेदन किया, जिस पर वादीगण को 30.01.2003 को नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की नकल प्राप्त हुई। वर्तमान स्थिति में आराजी खसरा नं0 405 पर वादीगण की आलू की फसल बोई हुई है, प्रतिवादी कम–1 के कृत्य से वादीगण को अपने खेत ख0 नं0 405 पर कब्जा काश्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके निवारण हेतु वादीगण के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है, इसीलिए वादीगण की ओरसे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी–निषेधाज्ञा का वाद मा0 न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रतिवादी कम 1 को चाहिए था, कि वह वादीगण के खेत खसरा नं0 405 को मेढ को छोड़ते हुए नींव खुदाई का कार्य करें। मगर प्रतिवादी कम–1 ने ऐसा न करते हुए वादीगण के खेत में मेढ लांघकर खेत के अंदर नींव की खुदाई चालू कर दी है। वर्तमान में प्रतिवादी कम–1 ने नीव 4 फुट गहरी खोद दी है। प्रतिवादी कम–1 को इस कृत्य से रोका–जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वादीगण को अपनी आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त करने में स्थायी रूप से व्यवधान उत्पन्न हो जावेगा, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। वादीगण की फसल को भी प्रतिवादी कम–1 के उक्त कृत्य से भारी नुकसान होगा। यदि प्रतिवादी कम–1 को नींव खुदाई के उसके कृत्य से नहीं रोका, गया तो वादीगण को अपने खेत में खेती करना मुश्किल हो जावेगा। प्रतिवादी कम–1 द्वारा वादीगण के खेत खसरा नं0 405 के अंदर नींव खुदाई का कार्य दिनांक 28.01.2003 को करने पर एवं फलस्वरूप वादी कम–1 द्वारा दिनांक 28.01.2003 को ही प्रतिवादी कम–1 से इस तरह वादीगण के खेत में अनाधिकृत रूप से नींव खुदाई का कार्य न करने हेतु निवेदन करने पर भी प्रतिवादी कम–1 के न मानने पर इस वाद को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने का वाद कारण उपरोक्त प्रकार से दिनांक 28.01.2003 उत्पन्न हुआ। दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी

में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार सादर डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण की राजी ख0 नं0 405 रकबा 0.30 हेक्टर वाके ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0 के अंदर पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी कम–1 को मकान बनाने की नियत से नींव खोदने से व अन्य तामीर कार्य करने से रोका जावे और उक्त आराजी पर वादीगण के शांतिपूर्व कब्जे काश्त को सुनिश्चित किया जावे। साथ ही उक्त आराजी पर वादीगण के शांतिपर्वूक कब्जे काश्त में व्यवधान न तो उक्त पकार से प्रतिवादी कम–1 ही करे, और न ही वह ऐसा अपने प्रतिनिधियों या एजेंटो से करवावे। अन्य कोई समीचीन सहायता जो न्यायालय उचित समझ, वादीगण को प्रतिवादी कम–1 से दिलायी जावे, तथा साथ ही हरजे–खर्चे के रूप में 10,000/–रुपये वादीगण को प्रतिवादी कम–1 से दिलायी जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बाद तलबी वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया गया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में असत्य व निराधार तथ्यों का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से परे है। वादीगण ने अपने वाद में अपने खेत व प्रतिवादी के मकान के मध्य खाली भूमि होना बताया है प्रतिवादी ने अपने पिता द्वारा ग्राम पंचायत सोगरिया से दिनांक 06.03.82 को पट्टा संख्या 60 के जरिये आबादी भूमि कय की थी तब से प्रतिवादी के पिता जो कि इस भूमि के पट्टेधारी है उनका व प्रतिवादी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों का विधिवत् रूप से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी ने अपने पिता के पक्ष में जारी पट्टे व कब्जे की भूमि पर कमरा बनाया है तथा कच्चा घर था उसे पक्का बनाया है, जिसका प्रतिवादी व उसके परिवार को वैध अधिकार प्राप्त है। वादीगण की भूमि व प्रतिवादी के पास पट्टेशुदा स्वामित्व भूमि के मध्य एक बबूल का पेड है उस पेड के आगे वादीगण का खेत है उस पर प्रतिवादी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है कि प्रतिवादी वादीगण की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहता है। प्रतिवादी ने वादीगण के खेत नं0 405 पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण या नींव खोदने का कार्य नहीं किया है। प्रतिवादी ने जो भूमि ग्राम पंचायत सोगरिया ने आबादी में आने के पश्चात् पट्टे दिये उसी पर निर्माण कार्य किया है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी ने वादीगण के किसी भी खेत पर नींव खुदाई का कार्य नहीं किया अपने पट्टे की भूमि पर ही नींव खोदकर निर्माण कार्य किया है। विवादित जमीन आबादी क्षेत्र की है इस कारण से इस न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। .प्रतिवादीगण जिस भूमि पर काबिज है वह भूमि पिछले 20 वर्षो से प्रतिवादी व उसके परिवार के कब्जे में चली आ रही है और यह भूमि आबादी क्षेत्र में होने से ग्राम पंचायत सोगरिया ने प्रतिपक्षी कम 1 के पिता के पक्ष में जर्ये पट्टा संख्या 60 दिनांक 06.02.82 को जारी करके दी थी और तब से प्रतिवादी कम 1 व उसके परिवार का कब्जा चला आ रहा है उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत व आबादी क्षेत्र में होने के कारण इस न्यायालय को धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत वाद एवं संबंधित प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है प्रतिवादी द्वारा पट्टे की भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जाकर मकान पूर्ण बना लिया है। वादीगण का खेत प्रतिवादी की निर्मित भूमि व जिस जगह नींव खोदी है उससे लगभग 5–7 फीट दूर है और उसके खेत को डिमार्केट करता हुआ प्रतिवादी की मकान की सीमा व खेत के मध्य एक बबूल का पेड है उससे भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने वादी की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

की भूमि पर उसकी मेड तोडकर मकान नहीं बनाया है ना ही किसी प्रकार का नुकसान पुंचाया है, जो भी निर्माण कार्य कर रा है वह अपने पट्टे की भूमि में ही कर रहा है और प्रतिवादी को अपने पट्टे की भूमि में निर्माण कार्य करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादी न्यायिक प्रकिया का दुरूप्योग कर पतिवादी को हानी पहुंचाने की दृष्टि से उसके वैध रूप से कब्जे में चली आ रही भूमि के बेदखल करने हेतु उक्त वाद पेश किया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

बाद जवाब–दावा प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण ग्राम अर्जुनपुरा स्थित आराजी ख0 नं0 405 रकबा 0.30 है0 का खोतदार है, जिसके पूर्व दिशा में प्रति0 मकान बनाने हेतु नींव खोदने व तामीर करने से रोका जाना चाहिए।

वादी

2. आया वादीगण व प्रत0 के माकन के बीच खाली भूमि नहीं है। प्रति0 ग्राम पंचायत सोगरिया से क्रय भूमि पर ही निर्माण करवा रहा है। वादीगण की भूमि पर नीवें नहीं खोद रहा है निर्माण नहीं कर रहा है।

प्रतिवादी

3. आया वर्णित व विवादित भूमि आबादी में होने से क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है।

4. सहायता

प्रतिवादी

तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त प्रकरण में साक्ष्य वादी ली गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में शपथ पत्र किशनलाल पेश किया गया। वादी के उपस्थित नही होने के कारण जिरह वादी का अवसर बंद किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र शांतिलाल पेश किया गया है। दस्तावेज ग्राम पंचायत सोगरिया भूमि विकय विलेख प्रदर्श डी 1 किये गये।

साक्ष्य प्रतिवादी के पश्चात पत्रावली जिरह प्रतिवादी हेतु नियत की गई। वादीगण को प्रतिवादी से जिरह हेतु प्र्याप्त अवसर दिये गये परन्तु वादीगण की ओर से जिरह नही की गई। अतः जिरह प्रतिवादी का अवसर बंद किया गया।

दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब दावा के कथनो को दोहराया। वादीगण की ओर बहस हेतु अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

उक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में तनकी वार निर्णय की ओर अग्रसर होते हैंः–

तनकी नं.–1 आया वादीगण ग्राम अर्जुनपुरा स्थित आराजी ख0 नं0 405 रकबा 0.30 है0 का खोतदार है, जिसके पूर्व दिशा में प्रति0 मकान बनाने हेतु नींव खोदने व तामीर करने से रोका जाना चाहिए।

वादी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की नं. 01 को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है के वाद वादीगण पूर्व में वादीगण के उपस्थित नही होने से अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है। वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। वादीगण विगत कई पेशियों से न्यायालय में उपस्थित नही हुये और न ही वादीगण की ओर से उक्त तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जिस कारण साक्ष्य के अभाव में यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0–2 आया वादीगण व प्रत0 के माकन के बीच खाली भूमि नहीं है। प्रति0 ग्राम पंचायत सोगरिया से क्रय भूमि पर ही निर्माण करवा रहा है। वादीगण की भूमि पर नीवें नहीं खोद रहा है निर्माण नहीं कर रहा है।

प्रतिवादी

प्रतिवादी।

तनकी नं.2 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया गया है वह अपने पट्टे की भूमि पर किया है। वादीगण को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी पक्ष के गवाहान से जिरह ना किये जाने से प्रतिवादी पक्ष की गवाही अखण्डनीय रही है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नही है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

तनकी नं0 –3 आया वर्णित व विवादित भूमि आबादी में होने से क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है।

प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी की ओर से उक्त तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। जिस कारण साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0–4 सहायता

वादीगण प्रस्तुत वाद में चाही गई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार बाद विवेचन निर्णय तनकी नं. 1 वादीगण के विरूद्ध एवं तनकी नं. 2 प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 14/10/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा